## प्रथम सूचना रिपोर्ट

## (दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला चौकी — भ्र0नि० ब्यूरो,हनुमानगढ़ थाना— प्र0आ०के. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष— २०२२ प्र0सू०रि० सं2 2 दिनांक
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7
(2) अधिनियम
(3) अधिनियम धाराएं
(4) अन्य अधिनियम एवं धाराएं
3. (क) घटना का दिन—शुक्रवार दिनांक. 28.01.2022 से दिनांक03.00 पीएम तक पहर बजे से
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या <u>675</u> समय <u>2-306</u> M,
4. सूचना कैसे प्राप्त हुइ– स्वयं हाजिर होकर, लिखित/मौखिक– लिखित
<ol> <li>घटना स्थल का ब्यौरा</li> <li>(क) थाने से दिशा एवं दूरी— चौकी से बजानिब पूर्व—दक्षिण दिशा बफासला करीब 150 किमी.</li> </ol>
(ख) पता – पटवार घर भादरा जिला हनुमानगढ़
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस
धाने का नाम
6. शिकायतकर्ता / इतिला देने वाला)
(क) नाम- श्री धन्नाराम
(ख) पिता / पित का नाम- श्री चतरूराम उर्फ चतरसिंह
(ग) जन्म तिथि / उम्र ३० वर्ष (घ) राष्ट्रीयता — भारतीय (ङ) पासपोर्ट संख्या
जारी करने की तिथि जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय—
(छ) पता- गांव कूंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ।
7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)
1.श्री मंगल विकास पुत्र श्री विजय कुमार शर्मा जाति—ब्राह्मण, उम्र–30 वर्ष निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल राजस्व पटवारी, पटवार मण्डल कुंजी, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
8. शिकायत / इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारणकोई नहीं
9. चोरी हुई सम्पति का विवरण :— आरोपित श्री मंगल विकास राजस्व पटवारी, पटवार मण्डल कुंजी, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ द्वारा परिवादी श्री धन्नाराम से उसके पिता व चचेरे भाई के नाम रजिस्ट्री का इंतकाल दर्ज करने की एवज में 10,000/—रूपये रिश्वत के मांग कर प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार करना ।
10. चोरी हुई सम्पति का कुल मूल्य ट्रेप राशि 10,000/-रू0
11. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु
सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,हनुमानगढ़ विषय:-रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत महोदय, निवेदन है कि मैं धन्नाराम पुत्र श्री चतरूराम उर्फ चतरसिंह जाति जाट,

CELLIN

उम्र 30 वर्ष, निवासी गांव कूंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ का निवासी हूं। मेरी कृषि भूमि गांव कूंजी में है जिसकी 21 वर्ष पुर्व रिजस्ट्री मेरे पिता व चचेरे भाई राजेश के नाम से हो चुकी है। जानकारी के अभाव में हम उस समय इंतकाल नहीं चढवा पाये। अब मेरे द्वारा उक्त कृषि भूमि का इंतकाल चढवाने हेतु ग्राम कूंजी के पटवारी श्री मंगल विकास से सम्पर्क किया तो, पटवारी श्री मंगल विकास ने मेरे से उक्त कार्य के लिए 2,000/—रूपये रिश्वत के ले लिये तथा कहा कि गिरदावर जी आपके इंतकाल चढवाने के लिए मान नहीं रहे है तथा ओर रूपये की मांग कर रहे हैं, और आकर मिलने की बात कही। श्रीमान जी पटवारी श्री मंगल विकास मेरे से मेरे जायज काम के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। जबिक पूर्व में उसे 2,000/—रूपये दे चुका हूं और अब मैं उसे और रूपये न देकर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हूं। मेरे पिताजी की मानसिक स्वास्थय की दवाई चल रही है इस वजह से वे घर पर ही रहते है तथा सारा कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता है, मेरी श्री मंगल विकास से कोई रंजीश या लेन देन बकाया नहीं है। कृप्या कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थी एसडी धन्नाराम पुत्र श्री चतरूराम उर्फ चतरसिंह जाति जाट, उम्र 30 वर्ष, निवासी गांव कूंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ मोबाईल:— 97859—76016

कार्यवाही पुलिस

दिनांक :—10.01.2022 समय:—11.00 एएम स्थान एसीबी कार्यालय हनुमानगढ़ प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री धन्नाराम पुत्र श्री चतरूराम उर्फ चतरसिंह जाति जाट, उम्र 30 वर्ष, निवासी गांव कूंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ ने ब्युरो कार्यालय में उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र अपने जानकर से टाईप करवाकर व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफत पर बताया कि हमारी कृषि भूमि गांव कूंजी में है जिसकी 21 वर्ष पुर्व रजिस्ट्री मेरे पिता व चचेरे भाई राजेश के नाम से हो चुकी है। जानकारी के अभाव में हम उस समय इंतकाल नहीं चढवा पाये। अब मेरे द्वारा उक्त कृषि भूमि का इंतकाल चढवाने हेतु ग्राम कूंजी के पटवारी श्री मंगल विकास से सम्पर्क किया तो पटवारी श्री मंगल विकास ने मेरे से उक्त कार्य के लिए 2,000 / - रूपये रिश्वत के ले लिये तथा कहा कि गिरदावर जी आपके इंतकाल चढवाने के लिए मान नहीं रहे है तथा ओर रूपये की मांग कर रहे हैं, और आकर मिलने की बात कही। श्रीमान जी पटवारी श्री मंगल विकास मेरे से मेरे जायज काम के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। जबिक पूर्व में मैं उसे 2,000 / – रूपये दे चुका हूं और अब मैं उसे और रूपये न देकर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकडवाना चाहता हूं। मेरे पिताजी की मानसिक स्वास्थ्य की दवाई चल रही है इस वजह से वे घर पर ही रहते है तथा सारा कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता है, मेरी श्री मंगल विकास से कोई रंजीश या लेन देन बकाया नहीं है। दरियापत पुलिस व परिवादी श्री धन्नाराम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। समय 12.05 पीएम पर परिवादी श्री धन्नाराम को गोपनीय सत्यापन हेतु कहा गया तो उसने अपनी स्वीकृति दी जिस पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चलाने व बंद करने की विधि समझाई गई तथा ब्यरो के ओमप्रकाश कानि० डाईवर 578 से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी ने बताया कि मैनें अभी जरिये फोन पटवारी से संपर्क किया तो उन्होने आज बाहर होना बताया है जिन्होने मुझे कल बुलाया है आप श्री ओमप्रकाश जी को कल भेज देना मैं सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। इस पर परिवादी श्री धन्नाराम को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया एवं श्री ओमप्रकाश कानि० ड्रा० को भी आवश्यक हिदायत दी की कल दिनांक 11.01.2022 को परिवादी से संपर्क कर सत्यापन कार्यवाही करे। दिनाक 11.01.2021 को समय 10.15 एएम पर श्री ओमप्रकाश कानि० ड्रा० 578 को ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर देकर परिवादी से सम्पर्क करने गोपनीय सत्यापन हेतु आवश्यक हिदायत कर भादरा की ओर रवाना किया। समय 03.40 पीएम पर श्री ओमप्रकाश कानि० ड्रा० का मन पुलिस निरीक्षक के पास फोन आया व बताया कि परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत मांग का सत्यापन हो चुका है एंव परिवादी ने कहा कि मै कल रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में आ जांउगा इस पर परिवादी को वहीं छोड़ने व स्वंय के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने के निर्देश दिये गये। समय 07.00 पीएम पर श्री ओमप्रकाश कानि० ड्रा० ५७८ ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। ओमप्रकाश कानि० ड्रा० ने ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर बंद हालत में मन् पुलिस निरीक्षक को सुपूर्द करते हुए बताया कि में ब्यरो कार्यालय से रवाना होकर भादरा पहुंचा तो सरकारी हॉस्पीटल के नजदीक परिवादी धन्नाराम उपस्थित मिला, परिवादी धन्नाराम व मै वहां से रवाना होकर पटवार घर के नजदीक पहुंचें, वहां पर ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी धन्नाराम को सुपुर्द कर परिवादी को पटवार घर की तरफ रवाना किया, मैं गोपनीय स्थान पर मुकिम हो गया। कुछ समय पश्चात परिवादी धन्नाराम मेरे पास आया व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मेरी मंगल विकास पटवारी से रिश्वत के संबंध में बातचीत हो गयी है जिसने मेरे से 10,000 / – रूपये मांगे है मुझे कल शाम को बुलाया है एव परिवादी धन्नाराम ने कहा की मै कल रिश्वत राशि 10,000 / - रूपये की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में आ जाउगा, इस पर आपके निर्देशानुसार परिवादी को वहीं छोड़ते हुए मै वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ उपस्थित आया हूं। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर का चलाकर सुना गया तो रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों की ताईद हुई । आईन्दा परिवादी के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित

आने पर उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर डी.वी.डी. में डाउनलोड करवायी जायेगी। ब्यूरों के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। दिनांक 12.01,2022 समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री धन्नाराम ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया, परिवादी श्री धन्नाराम ने बताया कि कल मुझे श्री ओमप्रकाश जी भादरा में सरकारी हॉस्पीटल के पास मिले थे हम वहां से खाना होकर पटवार घर की तरफ गये थे वहां पर ओमप्रकाश जी ने मुझे डिजिटल वायँस रिकॉर्डर को चालू कर दे दिया था में पटवार घर की तरफ चला गया था श्री ओमप्रकाश जी बाहर ही रूक गये थे, पटवार घर में मुझे पटवारी मंगल विकास मिले जिनसे मेरे कार्य के संबंध में वार्ता हुई तो उन्होंने मेरे से 10,000 / -रूपये रिश्वत के अपने व गिरदावर के लिए मांगे थे और आज देने के लिए कहा था मैने उक्त वार्ता डिजिटल वायस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी फिर मै वहां से वापिस आकर श्री ओमप्रकाश जी से मिलकर डिजिटल वायँस रिकॉर्डर सुपुर्द कर दिया था और मैं वहीं पर रिश्वत राशि की व्यवस्था हेतु रूक गया था आज मै रिश्वत राशि 10,000/-रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हूं, फिर मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वायँस रिकॉर्डर को निकाल कर कम्प्यूटर से जोड़कर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई व रिकॉर्ड वार्ता को दो खाली डी.वी.डी. में डाउनलोड़ करवाकर एक डी.वी.डी. को रूबरू गवाहन एक कपड़े की थैली में सील चिट किया गया व एक डी.वी.डी. को खुला रखा गया। रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से वक्त सत्यापन 10,000 / –रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि होना पाया गया। समय 11.30 एएम पर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने कारण आयुक्त नगरपरिषद हनुमानगढ़ के नाम तहरीर जारी कर श्री विनय विशाल कानि० को देकर वास्ते लाने हेतु रवाना किया। समय 12.10 पीएम पर श्री विनय विशाल कानि० आयुक्त नगरपरिषद हनुमानगढ़ कार्यालय से श्री जगजीत सिंह किनेष्ठ सहायक व श्री आरिफ मोहम्मद किनेष्ठ सहायक को लेकर उपस्थित आया। समय 01.10 पीएम पर परिवादी श्री धन्नाराम व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को बुलवाया जाकर आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिन्होंने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। निर्देशानुसार परिवादी श्री धन्नाराम पुत्र श्री चतरूराम उर्फ चतरसिंह जाति जाट उम्र-30 वर्ष निवासी गांव कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ने आरोपित को रिश्वत दी जाने वाली राशि पांच-पांच सौ रूपये के 20 नीट कुल 10,000 / - रूपये मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर निम्न

	A	
क्र.स.	नोटों का विवरण	नम्बर
1	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	5MG084468
2	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	6BN147408
3	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3GL450418
4	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	5ER057326
5	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	9PM023934
6	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	9LL067377
7	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	2CT263773
8	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	8DQ405459
9	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	0FU906138
10	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	1QT059281
11	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	8UK518038
12	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	1LQ763898
13	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	8DW459807
14	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	6EQ724562
15	एक नोंट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	3AP079061
16	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	5HT871285
17	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	7GE462927
18	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	0HB341229
19	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	9BM170157
20	एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी	9SR490218
الم دا يام	महारच श्री भाज काम कविष्ट ग्रहामक में मानगराज	मे कियानाहराजीन

रुबरू गवाहन श्री अमन कुमार किनष्ट सहायक से मालखाना से फिनॉलफथलीन पाउडर मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के सभी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह श्री आरिफ मोहम्मद किनष्ट सहायक से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 10,000/— रू. को श्री अमन कुमार किनष्ट सहायक से ही परिवादी के पहनी पेन्ट की दांयी साईड की जेब में सावधनी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि

प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नहीं मिले तो परिवादी के मोबाईल से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल न. 94137 61919 / 97830 96902 पर मिस कॉल / कॉल करे। गवाहन क्रो भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को नाली में फिकवाकर गिलास को साबून पानी से साफ धुलवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों व गिलास को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेत् ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सहित परिवादी को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेत् दिया जाकर हिदायत दी गई कि वह आरोपी से मिलने से पहले वॉईस रिकॉर्ड को भली भान्ति चालू कर आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करे। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉलपथलीन पाउडर अलग से तैयार की गई। दिनाक 12.01.2022 समय 02.00 पीएम पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी धन्नाराम श्री विनय विशाल कानि० 576, श्री बजरंग लाल कानि० 496 , श्री वरूण कुमार कानि० 97 निजि प्राईवेट कार से मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रैप बाक्स व अन्य ट्रेप सामग्री सहित, श्री जगदीश राय मुख्य आरक्षक, स्वतंत्र गवाह जगजीत सिंह व श्री आरिफ मोहम्मद, श्री राजेश कुमार कानि०, श्री ओमप्रकाश कानि० ड्रा० सरकारी बोलेरो गाड़ी से ब्यूरो कार्यालय से भादरा के लिए खाना हुए। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक को आवश्यक हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय में छोड़ा गया। समय 04.30 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा पटवार घर भादरा के पास पहुंच कर परिवादी को आरोपी से संपर्क करने हेतु पटवार घर की तरफ रवाना कर ट्रेप जाल बिछाया गया। समय 05.00 पीएम पर परिवादी पटवार घर भादरा से बिना कोई ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि श्री मंगल विकास पटवारी जी पटवार घर में उपस्थित नहीं है, जिनसे जरिये वाटसअप कॉल सपर्क किया गया तो उन्होंने बाहर होना बताया है आज नहीं मिलने बाबत कहां है, इस पर परिवादी से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि व ब्यूरो का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर स्वतंत्र गवाहन की मौजूदगी में श्री ओमप्रकाश कानि० ड्रा० के जरिये परिवादी से प्राप्त किया गया। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर भादरा ही छोड़ते हुए मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुआ। समय 08.30 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंचे, गवाहन को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया, परिवादी से प्राप्त रिश्वत राशि 10,000 / रू व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर के श्री ओमप्रकाश कानि० ड्रा० के जरिये मालखाना में स्रक्षित रखवायी गई।दिनांक 20.01.2022 समय 10.40 एएम पर परिवादी के मोबाईल पर संपर्क किया गया व परिवादी को हिदायत दी गई की ब्यूरो स्टाफ कोविड–19 पॉजिटिव हो गया है व मन पुलिस निरीक्षक के द्वारा भी कोविड-19 की जांच करवायी जा रही है अतः आप आरोपी से पांच-सात दिन बाद संपर्क कर उसकी उपस्थित बाबत पता लगाकर बताये। दिनांक 27.01.2022 समय 10.40 एएम पर परिवादी द्वारा जरिये फोन अवगत करवाया गया कि आरोपी से मेरी आज मोबाईल पर वार्ता हुई है उसने मुझे कहा की आज मै बाहर हूं कल आप मेरे से आकर मिलो, इस पर परिवादी को कल सुबह 12.30 पीएम पर भादरा में मिलने के निर्देश दिये ओर गवाहों को कल दिनाक 28.01.2022 को सुबह 09.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 28.01.2022 को समय 10.30 एएम पर पाबन्दशदा श्री जगजीत सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री आरिफ मोहम्मद कनिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 11.00 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने मालखाना से रिश्वती राशि 10,000 / रू व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री ओमप्रकाश कानि० ड्रा० के जरिये निकलवायी जाकर उसे परिवादी को सुपूर्द करने हेतु सुरक्षित संभलायी गई एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री विनय विशाल कानि० 576, श्री जगदीशराय मुख्य आरक्षक, श्री जगजीत सिंह स्वतंत्र गवाह निजि प्राईवेट कार से मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रैप बाक्स व अन्य ट्रेप सामग्री सहित, श्री हसंराज कानि०, श्री वरूण कुमार कानि०, श्री राजेश कुमार कानि०, श्री संदीप कानि० ,श्री आरिफ मोहम्मद स्वतंत्र गवाह, श्री ओमप्रकाश कानि० ड्रा० सरकारी बोलेरो गाड़ी से ब्यूरो कार्यालय से भादरा के लिए रवाना हुए। दिनांक 28.01.2022 समय 1.00 पीएम पर भादरा पहुंचे जहां पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी धन्नाराम तय स्थान पर उपस्थित मिला जिसने बताया की कल मेरी श्री मंगल विकास पटवारी जी से वार्ता हुई तो उन्होने मुझे आज बुलाया है, इस पर श्री ओमप्रकाश कानि० ड्रा० के पास से रिश्वती राशि 10,000 / रू रूबरू गवाहान फर्द सुपुर्दगी से नोटो के नंबरों का मिलान करवाकर परिवादी को आरोपी श्री मंगल विकास पटवारी को देने हेतु सुपूर्व की गई तथा रिश्वत लेन देन के समय रिकार्ड वार्ता हेतु परिवादी डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी को पटवार घर की तरफ रवाना किया गया ओर ट्रेप जाल बिछाया गया। समय 01.30 पीएम पर परिवादी ने जरिये फोन करके अवगत करवाया की श्री मंगल विकास पटवारी जी ने मुझे एक एप्लीकेशन लिखवाने बाबत कहा है जिसे मैं लिखवाकर ला रहा हूं, जैसे ही रिश्वत

लेनदेन होगा मै आपको ईशारा कर दूंगा। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस व अन्य ट्रेप पार्टी सदस्य पटवार घर के आस—पास ही गोपनीय रूप से मुकिम है। दिनाक 28.01.2022 समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री धन्नाराम पुत्र श्री चतरूराम उर्फ चतरसिंह जाति जाट उम्र–30 वर्ष निवासी गांव कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से ट्रेप का निर्धारित ईशारा मिसकॉल प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने तुरन्त दोनो स्वंतत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर परिवादी के पास पटवार घर भादरा के पास पहुंचा तो परिवादी धन्नाराम ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपूर्द करते हुए अपने पास खड़े काली जैकेट पहने व्यक्ति की ओर ईशारा करते हुए बताया कि यही मंगल विकास पटवारी है, जिसने मेरे से हमारी जमीन का इंतकाल चढ़ाने की एवज में मेरे से 10,000 / - रूपये रिश्वत के लेकर अपनी पहनी ज़िन्स की पीछे की बाएं जेब में रख लिये, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उस व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तो उसने भागने का प्रयास किया तो उसे रोककर पकड़ा गया वह घबरा गया, जिस पर उसे तसल्ली देकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री मंगल विकास पुत्र श्री विजय कुमार उम्र-30 वर्ष जाति-ब्राह्मण निवासी गांव परलिका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल राजस्व पटवारी पटवार मण्डल कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ, इस पर आरोपी श्री मंगल विकास पटवारी से परिवादी श्री धन्नाराम से 10,000 / - रूपये रिश्वत के बारे में पूछा तो पटवारी मंगल विकास ने बताया कि धन्नाराम गांव कुंजी की दिनांक 01.10.2001 की पुरानी रजिस्ट्री जो राजेश पुत्र नंदराम, चतरसिह उर्फ चतरूराम के नाम से है उसका इंतकाल दर्ज करवाने हेतु आज आया था जिस पर मैने उसे कागजात का अवलोकन कर कहा की रजिस्ट्री पुरानी है आप तहसीलदार जी से मार्क करवाकर मुझे दे देना, में पांच चार दिन में इंतकाल दर्ज कर दूंगा ,धन्नाराम द्वारा राजीखुशी खर्चापानी के 10,000 / – रूपये दिये है जिसे मैने मेरी जिन्स की पीछे की बांए जेब में रख लिए हैं इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी धन्नाराम ने स्वत ही बताया कि पटवारी जी झुठ बोल रहे है गांव कुंजी में हमारी कृषि भूमि है जिसकी 21 वर्ष पुर्व रजिस्ट्री मेरे पिता चतरसिंह उर्फ चतरूराम व मेरे चचेरे भाई राजेश के नाम से हो चुकी है। जानकारी के अभाव में उनके द्वारा उस समय इंतकाल नहीं चढवा पाये। मेरे द्वारा उक्त कृषि भूमि का इंतकाल चढवाने हेतु पटवारी जी से सम्पर्क किया तो पटवारी जी ने मेरे से उक्त कार्य के लिए 2,000 / - रूपये रिश्वत के ले लिये तथा कहा कि गिरदावर जी आपके इंतकाल चढवाने के लिए मान नहीं रहे है उनको ओर रिश्वत देनी पडेगी, इस पर मेरे द्वारा दिनाक 10.01.2022 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया गया था जिस पर आप द्वारा दिनांक 11.01.2022 को रिश्वत का सत्यापन करवाया गया तो उस दिन पटवारी जी ने मेरी रजिस्ट्री की प्रति रख ली थी और काम के लिए 10,000 / -रूपये रिश्वत की मांग करते हुए रजिस्ट्री की प्रति पर लिखे थे, आज मै आकर मिला तो मेरे से एक एप्लीकेशन लिखवायी तथा कहा की ये रजिस्ट्री व जमाबंदी के कागजात ले जाओ ओर इन पर तहसीलदार जी से मार्क करवाकर मुझे ला दो, ओर मेरे से तयशुदा रिश्वत के 10,000 / -रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी जिन्स की पीछे की बाएं जेब में रख लिये है, उक्त 10,000 / - रूपये मैने पटवारी जी के मांगने पर रिश्वत के दिये है न की खर्चे पानी के दिये है, परिवादी ने एप्लीकेशन व कागजात पेश किये जिनका अवलोकन कर उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया, रिश्वत राशि का आदान प्रदान की ताईद होने पर आरोपी मंगल विकास पटवारी के दोनो हाथो की धुलवाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना उपस्थित गवाहन ने ताईद किया फिर एक कांच के गिलास के तैयार घोल मे आरोपी मंगल विकास के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मट्मैला प्राप्त हुआ जिसकी गवाहन द्वारा ताईद करने पर धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में मौके पर आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर चिट कर मार्का आर-1, आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इस विधि अनुसार दूसरे कांच की गिलास में तैयार घोल में आरोपी के बांये हाथ की अगुंलियों व अगुंठे को घोल में डबोकर धलवाया गया तो धोवन का रंग मट्मैला प्राप्त हुआ जिसकी गवाहन द्वारा ताईद करने पर धोवन को दो साफ कांच की शिशियों में मौके पर आधा आधा भरवाया जाकर सील मोहर चिट कर मार्का एल-1, एल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर गवाह श्री जगजीत सिंह को निर्देश देने पर गवाह जगजीत सिंह ने आरोपी के बताये अनुसार उसकी पहनी जिन्स की पीछे की बाएं जेब की तलाशी ली तो उसमें से रूपयों की थैई निकालकर गिनकर 10,000 / - रूपये होना बताया जिस पर दूसरे गवाह श्री आरिफ मोहम्मद को फर्द सुपुर्दगी नोट को देकर अंकित नोटो के नंबरों का मिलान बरामदा नोटों के नंबरों से करवाने पर दोनो गवाहन ने हुबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताने पर उक्त नोटों के नंबर फर्द में अंकित किये गये। उक्त बरामद नोटो को एक कपड़े के टुकड़े में सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रिश्वत राशि आरोपी की पहनी जिन्स की पीछे की बाएं जेब से बरामद हुई है, जिन्स की जेब की धुलवाई करवायी जाना आवश्यक होने से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसकी ताईद गवाहान द्वारा करने पर आरोपी को पहनने को लॉवर दिया जाकर पहनी हुई जिन्स को उतरवाकर उसकी पीछे की बाएं जेब को उल्टवाकर उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे मौके पर दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर

मौके पर सिल मोहर चिट कर मार्का पी-1, पी-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर उक्त जिन्स को कपड़े की थैली में डालकर थैली को मौके पर सील मोहर चीट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी से परिवादी धन्नाराम से संबंधित दस्तावेज के संबंध में पूछा गया तो आरोपी ने बताया की इससे संबंधित मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है जो भी दस्तावेज थे मैने इसे मार्क करवाने के लिए दे दिये थे। इस कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलवाई तैयार कर फर्द मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 04.20 पीएम पर फर्द नमूना सील तैयार की गई। आरोपी श्री मंगल विकास राजस्व पटवारी को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। वक्त रिश्वत लेन-देन रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई व रिकॉर्ड वार्ता को दो खाली डी.वी.डी. में डाउनलोड़ करवाकर एक डी.वी.डी. को रूबरू गवाहन व परिवादी के एक कपड़े की थैली में सील चिट किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये व एक डी.वी.डी. को खुला रखा गया। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान काम में ली गई पीतल की सील को रूबरू गवाहन नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई। वक्त 06.30 पीएम पर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाकर फर्द नक्शा मौका एवं हालत मौका कसीद की गई। परिवादी श्री धन्नाराम को मौके पर छोड़ा गया। गिरफ्तारश्रदा आरोपी श्री मंगल विकास राजस्व पटवारी का मेडिकल परीक्षण करवा गया व रात्रि सुरक्षा हेतु हवालात में रखने हेतु ब्यूरो स्टाफ के साथ रवाना कर पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शंन की हवालात में रखवाया गया। आरोपी श्री मंगल विकास राजस्व पटवारी के आवासीय मकान पर पहुंच कर नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द मूर्तिब की जाकर आरोपी के आवासीय मकान से मन् पुलिस निरीक्षक मय हमाराहीयान के ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुआ। वक्त 10.10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमाराहीयान के ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पर पहुँचा, जब्तशुदा माल-वजह सबूत छः शिशिया, जब्तशुदा जिन्सं की थैली, सील्डशुदा रिश्वत राशि 10,000 / – रूपयें, सील्डशुदा डीवीडी का पैकेट श्री जगदीशराय मुख्य आरक्षक को सुरक्षित संभलाया जाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर मालखाना में रखवाया गया। श्री हसंराज कानि०,श्री राजेश कानि०, श्री संदीप कानि०,स्वतंत्र गवाह श्री आरिफ मोहम्मद व श्री ओमप्रकाश कानि०ड्रा० ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित मिले जिन्होने गिरफ्तारशुदा अभियुक्त की जमा हवालात की रसीद प्रस्तुत की जिन्हे शामिल कागजात किया गया। स्वतंत्र गवाह श्री जगजीतसिह व श्री आरिफ मोहम्मद को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया।

इस प्रकार इस प्रकार परिवादी श्री धन्नाराम पुत्र श्री चतरूराम उर्फ चतरसिंह जाति जाट उम्र–30 वर्ष निवासी गांव कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2022 में अंकित तथ्यों एंव मजमून दरियाफ्त के आधार पर दिनांक 11.01.2022 को करवाये गये सत्यापन से आरोपी श्री मंगल विकास राजस्व पटवारी पटवार मण्डल कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ द्वार परिवादी के पिता व चचेरे भाई के नाम रजिस्ट्री का इंतकाल दर्ज करने की एवज में 10,000 / —रूपये रिश्वत मांग के तथ्य रिकॉर्ड पर आने, जिस पर दिनांक 28.01.2022 को रूबरू गवाहन 10,000 / –रूपये रिश्वत राशि पर ट्रेप का आयोजन किया गया वक्त रिश्वत लेन–देन आरोपी मंगल विकास राजस्व पटवारी द्वारा परिवादी से 10,000 / —रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी जिन्स की पीछे की बांए जेब में रखा जहां से रिश्वत राशि बरामद होने, आरोपी के दोनो हाथों की धुलवाई से प्राप्त धोवन मटमैला व जिन्स पेंट से प्राप्त धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होने एव वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने आदि तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री मंगल विकास राजस्व पटवारी पटवार मण्डल कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथमदृष्टया घटित होना पाया गया है। अतः आरोपी श्री मंगल विकास पुत्र श्री विजय कुमार शर्मा जाति–ब्राहमण, उम्र–30 वर्ष निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल राजस्व पटवारी, पटवार मण्डल कुंजी, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ के विरुद्ध वर्णित उक्त धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपार्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित

> (सुभाषचन्द्र) पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाषचन्द्र, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा ७ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री मंगल विकास, राजस्व पटवारी पटवार मण्डल कुंजी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 27/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भृष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 266-70 दिनांक 29.1.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,श्रीगंगानगर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।
- 4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भृष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।